

4

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-25/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० धर्मेन्द्र कुमार चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबत्ता खगड़िया द्वारा दिनांक-01.11.2023 से 17.11.2023 तक को कुल-17 (सत्रह) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-769(25), दिनांक-08.04.2025 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा सहिता के नियम-230 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-25/2024- 1061/2 पटना दिनांक 20/5 /2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, दीरजन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्याार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबत्ता खगड़िया कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया/डा० धर्मेन्द्र कुमार चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परबत्ता खगड़िया को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. K. K. 19/5/26
सरकार के उप सचिव।
h

Handwritten scribbles and lines, possibly representing a signature or initials.